संख्या:-90/2018/2368(6)/सोलह-1-2018-9(बजट-1)/11

प्रेषक,

सुरजन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,
कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनांक: 21 जून, 2018**

विषय:- विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मियों के दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 तक देय पुनरीक्षित वेतन के अवशेष 50% धनराशि के भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में कार्यरत कर्मियों के दिनांक 01.01.2016 से 31.12.2016 तक देय पुनरीक्षित वेतन के अवशेष के भुगतान हेतु रू 98,70,000.00 (रूपये अट्ठान्नवे लाख सत्तर हजार मात्र) धनराशि की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष में ही राजकीय कोषागार, कानपुर से आहरित कर आवश्यकतानुसार उपरोक्त मद पर ही व्यय किया जायेगा। किसी भी नई सेवा पर व्यय नहीं किया जायेगा। इस धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 'एच' के अधीन शासन को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा। इस मद में होने वाला अतिरिक्त व्यय भार संस्थान द्वारा अपनी आय/बचत से वहन किया जायेगा।

3. प्रश्नगत धनराशियों के व्यय पर वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-5 भाग-1 के अध्याय-16 'ए' की शर्तें भी लागू होंगी ।

4. प्रश्नगत धनराशियों की लेखा संपरीक्षा स्थानीय निधि लेखा परीक्षक से कराकर आख्या शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

5. स्वीकृत धनराशि का भुगतान अपर निदेशक, कोषागार, कानपुर मण्डल, कानपुर द्वारा बिल प्रतिहस्ताक्षरित कराकर आहरित कर व्यय की जायेगी। संबंधित कोषागार के बीजक एवं दिनांक की सूचना निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर तथा शासन को तत्काल भेजी जाय।

6. विश्वविद्यालय में आच्छादित कर्मियों को दिनांक 1.1.2016 से 31.12.2016 तक पुनरीक्षित वेतन के अवशेषों का भुगतान वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016 दिनांक 22.12.2016, संख्या-24/2017/वे0आ0-2-1149/दस-04(एम)/2016 दिनांक 22.12.2017, एवं पत्र संख्या-05/2018/वे0आ0-2-330/दस-18-4(एम)/2016 दिनांक 18.05.2018 में निहित प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

7. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-47 के लेखाशीर्षक 2203-तकनीकी शिक्षा-112-इंजीनियरी कालेज तथा संस्थान-05-हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-53-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता) मद के नामे डाला जायेगा।

8. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018/231/2018, दिनांक 30.03.2018 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुरजन)
विशेष सचिव

<u>संख्या-90/2018/2368(6)/सोलह-1-2018-9(बजट-1)/2011, तद्दिनांक-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार (आडिट) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(3) जिलाधिकारी, कानपुर।

(4) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।

(5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।

(7) वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर।

(8) अपर निदेशक, कोषागार, कानपुर मण्डल, कानपुर।

(9) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

(10) ई-11, अनुभाग / प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।

(11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(अवध किशोर)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in